लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

दूरभाषः 0755–2583650, फैक्सः 2583651, ई–मेलः coord-dpi@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 7.8.18

कमांक/समन्वय/बी/2018/166

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 23.7.2018 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 23.7.2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संचालक 7/8
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 7.8.18

पृष्ठा0क्रमांक/समन्वय/बी/2018/167
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
4. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक प्रशासन लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक 7/8
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग दिनांक 23.07.2018 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.07.2018 को वल्लभ भवन भोपाल के वीडियो कान्फ्रेन्सिंग हॉल क्रमांक 66 में सायं 04.00 बजे से आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग का आयोजन किया गया । इसमें अपर परियोजना संचालक, संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उपसंचालक एवं सहायक संचालक लोक शिक्षण बैठक में उपस्थित रहे ।

उपसंचालक श्री वाईकर द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक एवं समस्त जिले के जिला शिक्षा अधिकारियो की उपस्थिति ली गई जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहे ।

ट्रांसपोटेशन की समीक्षा – अपर परियोजना संचालक द्वारा बताया गया कि–

1. एक महत्वपूर्ण पत्र समस्त जिलों को भेजा गया है । इसमें छात्रों के ट्रांसपोटेशन के खर्च को साझा करने के सबंध में बताया गया ।
2. अधिक से अधिक संख्या में छात्र विद्यालय की दूरी की वजह से स्कूल जाना बंद कर देते हैं । इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 19 जिलों का चयन किया है । जहॉ दूर से आने वाले छात्रों के लिए 500 रूपए ट्रांसपोटेशन फीस तय की गई ।
3. ट्रांसपोटेशन फीसे बच्चों के खातों में कैसे जाऐगी । इसके नियम तय करने और नामांकन` के संबंध में बताया गया है। विद्यालयों की पहचान और किस गॉव के बच्चे आएंगे यह भी पहचान करना आवश्यक है । ट्रांसपोटेशन के संबंध में 27 जुलाई तक काम पूरा किया जाना है । संबंधित सभी जिलों को निर्देशित किया गया। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गये कि वे कलेक्टर से संपर्क करें ।
4. भवनों के निर्माण के संबंध में अभी भूमि प्राप्त नहीं हुई है । इसमें एक सीएम हेल्पलाइन का प्रकरण भी है । ट्रांसपोटेशन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा, सिंगरौली, गुना राजगढ दमोह खण्डवा रीवा रतलाम मुरैना खरगौन श्योपुर छिंदवाडा छतरपुर बडवानी भिंड जबलपुर शिवपुरी अलीराजपुर और अशोकनगर। इस कार्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को अधिक सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए गये ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ छात्रों को मिल सके ।
5. आयुक्त महोदया द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गये कि वे 18/7/18 को जारी पत्र ध्यानपूर्वक पढ लें और तत्संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर अवगत करावें ।

भूमि भवन की समीक्षा –

6. अपर परियोजना संचालक ने कहा कि प्रदेश में 650 स्थानों पर स्कूल/छात्रावास बनाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं थी । इसके लिए प्रमुख सचिव महोदया द्वारा सभी कलेक्टर्स को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा गया था ।
7. जिन जिलों में अच्छी तरह इस कार्य को किया गया उसके लिए एपीडी महोदय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई ।
8. जिन जिलों में अधिक पेडेंसी है उन जिलों के कलेक्टर्स द्वारा शिकायत की गई कि जिला शिक्षा अधिकारी उनसे मिलते नहीं हैं ।

9. जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर की 3 सिंगरौली की 1 ग्वालियर की 1 देवास में 12 पेंडिग हैं । देवास जिले के सबंध में आयुक्त महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई । भिण्ड मे 1 पन्ना जिले की 5 रीवा जिले में 14 सिवनी जिले में 3 नरसिंहपुर जिले में 3 मंदसौर जिले में 7 पेडिंग है । बालाघाट भोपाल और टीकमगढ जिले में 1–1 पेंडेसी है । जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना की 12 दमोह की 3 सीहोर की 4 एवं शाजापुर जिले में 2 पेंडिग है।

10. संबंधित सभी जिलों को निर्देशित किया गया कि वे कलेक्टर्स के साथ संपर्क कर तत्काल कार्यवाही कराएं एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराएं ।

शैक्षणिक गुणवत्ता की समीक्षा–

11. अपर परियोजना संचालक ने ब्रिज कोर्स के सबंध में जिलों में प्रभारी अधिकारियों को भेजा गया था । ब्रिज कोर्स के सबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्यवाही इस माह के अन्त तक पूरी कर लेने के निर्देश दिए गये । ब्रज कोर्स प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से समझाया गया ।

12. अपर संचालक ने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके टाइम टेबिल में तीन पीरियड दिए गये हैं । इसमें समय आवंटित करना आवश्यक है । ब्रज कोर्स का उददेश्य है कि कक्षा नवमी में जो पाठयक्रम पढाया जाएगा उसे बच्चे अच्छी तरह समझ सकेगें । सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिए गये कि इस कार्य संपन्न होने के पश्चात् इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाना है ।

13. आयुक्त महोदया द्वारा सभी संयुक्त संचालक जिले में जाने हेतु अपना दौरा कार्यक्रम बनाएं और प्रत्येक जिले में जाकर समीक्षा करने हेतु निर्देश दिए गये ।

अतिथि शिक्षक की समीक्षा –

14. आयुक्त महोदय ने अतिथि शिक्षक की प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है । हर वर्ष इसमें काफी विलंब होता था । इसका उददेश्य यह है कि 31 जुलाई तक अतिथि शिक्षक की प्रकिया पूरी कर लें ।

15. इसके सिस्टम में 9 एवं 12 हेतु नियुक्ति प्रकिया ऑनलाइन है । और प्राइमरी और मिडिल के लिए ऑफलाइन किया है । इसमें कई शिकायते प्राप्त हो रही हैं कि प्राइमरी और मिडिल में प्राचार्य आवेदन प्राप्त नहीं कर रहे हैं ।

16. आयुक्त महोदय द्वारा सभी को यह निर्देश दिये गये कि वे आवेदन प्राप्त करें और ऑफलाइन प्रकिया पूरी करें।

17. हाईस्कूल और हायरसेकेण्ड्री हेतु अतिथि शिक्षक भर्ती प्रकिया जल्दी पूरी करनी है क्योंकि प्रशिक्षण उन अतिथि शिक्षक को भी दिलाना है । क्योंकि अतिथि शिक्षक को भी एनसीईआरटी की किताबे पढाना है ।

18. आयुक्त महोदय ने खेद व्यक्त करते हुए कहा गया कि मुरैना और रायसेन में अपने स्कूलों में रिक्तियॉ अपडेट नहीं की । इस संबंध में जानकारी मांगी गई, 12 जिलों ने जानकारी दी है किन्तु जानकारी भी विलंब से दी गई और कई जिलों ने अभी तक जानकारी अपडेट नहीं की है ।

19. आयुक्त महोदय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जितने जिलो ने जानकारी अपलोड नहीं की है, जानकारी तत्काल अपलोड कराएँ । यह भी बताया कि ई–मेल पर जो सूची भेजी गई है, जो सूची पोर्टल पर अपलोड है उसकी एक्सेल फाइल

पुनः भेजी गई है । इसमें जिस स्कूल का नाम संशोधित करना है उसी स्कूल का नाम और उसी विषय का नाम भेजने के निर्देश दिए गये। जिसमें पद रिक्त है उसे रेड कलर से भर दें । ताकि जानकारी कम्पाइल करने में दिक्कत न हो और इसे पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उस स्कूल का उसी का पद का एवं उसी पद की वैकेंसी दिखाई दे । इस एक्सेल की शीट स्कूलवार दी गई है जिसमें दो कॉलम दिए गये है स्वीकृत पद एवं कार्यरत् पद । स्वीकृत और कार्यरत पद विषयवार दिए गये हैं । सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल एनआईसी में अपडेट कराने हेतु निर्देश दिए गये ।

20. सभी संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि हायरसेकेण्ड्री हाईस्कूल में केवल वर्ग–2 के ही अतिथि शिक्षक रखे जाएं । चाहे उस विद्यालय में वर्ग–1 का पद स्वीकृत हो । नियमित भर्ती के समय वर्ग–1 की ही नियुक्ति होगी । किन्तु अतिथि शिक्षक हेतु वर्ग –2 के विरूद्ध ही अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे ।

21. मोबाइल नम्बर अपडेट करने हेतु dpi.atithi@gmail.com पर ई–मेल करेंगे तो मोबाइल नम्बर अपडेट कर दिया जाएगा ।

22. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यदि सूची में नो–चेंज की स्थिति है तो भी नो–चेंज की जानकारी भेजें और यदि जानकारी में कोई परिवर्तन है तो जानकारी रेड मार्क करके भेजे । एवं जो रिक्तियॉ पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही हैं उन्हीं के आधार पर आवेदन लिये जाना है ।

पर्यटन विभाग

23. पर्यटन विभाग से श्री के.के. सिंह ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों का अभिवादन करते हुए कहा कि जैसा कि विदित है कि 31 जुलाई को पर्यटन प्रतियोगिता आयोजित की गई है ।

24. प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए कि समस्त शासकिय एवं अशासकिय हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूलों का पंजीयन किया जाना है और इसके लिए 20 जुलाई नियत तारीख निर्धारित की गई थी । अभीतक 6200 स्कूलों का पंजीयन हुआ है । किन्तु कुछ जिलों में अभी भी पंजीयन कार्य अपूर्ण है ।

25. झाबुआ जिले में पिछले वर्ष 2017 में 86 स्कूलों का पंजीयन किया गया था, इसबार केवल 20 का ही हुआ है । इसी प्रकार ग्वालियर जिले में 126 स्कूलों का पंजीयन किया गया था इस बार केवल 98 स्कूलों का पंजीयन किया गया है । श्योपुर में 69 स्कूलों का पंजीयन किया गया था । इसबार मात्र 2 स्कूलों का पंजीयन किया गया है । भिण्ड जिलें में 2017 में 217 स्कूलों का पंजीयन किया गया था इसबार मात्र 151 स्कूलों का पंजीयन किया गया है । सिवनी जिले में 108 स्कलों का पंजीयन किया गया था इस वर्ष 24 स्कूलों का पंजीयन किया गया है ।

26. श्री के.के.सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों के निवेदन पर पंजीयन की तिथि 20 जुलाई से 24 जुलाई की गई । अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक स्कूलों का छात्र हित में पंजीयन कराएं ।

शिक्षा गुणवत्ता प्रकोष्ठ

27. संयुक्त संचालक श्री शीतांशु शुक्ला ने बताया कि शिक्षा गुणवत्ता प्रकोष्ठ की ओर से एक प्रेजेन्टेशन दिखाया गया। शिक्षा गुणवत्ता प्रकोष्ठ गतवर्ष से बनाया गया है ।

सुपर–100 की समीक्षा

28. इसमें 1 जुलाई को सुपर–100 की चयन परीक्षा आयोजित की गई थी । इसके परिणाम 24 जुलाई को घोषित किए जाने हैं । बच्चों को प्रवेश देना है । बच्चों के पालकों से भी सहमति ली जाना है । इसमें 30 तारीख तक बच्चों को उपस्थित कराने के भी निर्देश दिए गये । इसमें चयनित बच्चों के पालकों से पुनः सहमति ली जाना है । एवं चयनित बच्चों के प्रवेश हेतु इस कार्य को 24 से 26 जुलाई के मध्य कार्य संपन्न करने के निर्देश दिए गये ।
29. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पुनः सूची देखने हेतु निर्देशित किया गया । मेरिट प्रदेशवार बनी है किन्तु सभी जिले से छात्र चयनित हुए है तो जिला शिक्षा अधिकारी सूची को अच्छी तरह से देखें और यह तय करे कि 24 से 26 जुलाई को किस प्रकार से कार्य किया जाना है । डीपीसी/एडीपीसी इस कार्य को करेंगे, संबंधित प्राचार्य को निर्देशित करें एवं सभी जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं मॉनीटरिंग करें ।
30. इसमें महत्वपूर्ण कार्य जो 27 जुलाई तक किया जाना है उसमें चयनित छात्रों में जिन बच्चों के असहमति पत्र प्राप्त हुए है । उसकी सूचना तत्काल पत्र के द्वारा भेजें । ताकि प्रतीक्षा सूची के छात्रों का चयन करके 28 जुलाई तक आदेश जारी किए जा सकें । ये कार्य भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संपन्न कराया जाना है ।
31. सभी चयनित छात्रों को 30 जुलाई तक शासकीय मल्हार आश्रम उमावि इन्दौर और शासकीय सुभाष उमावि भोपाल में भेजना है । छात्रों के नामांकन 31 जुलाई तक कर लिए जाएं । इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी ।

वर्चुअल क्लास की समीक्षा

32. संयुक्त संचालक श्री शुक्ला ने वर्चुअल क्लास के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त की गई । कि आज ब्रज कोर्स का पहले दिन केवल 87 स्कूलों ने ही लॉगइन किया है । इस संबंध में 18 जुलाई तक जानकारी चाही गई है कि कहॉ कहॉ और किन कारण से लॉगइन नहीं हो पा रहा है । इसमें आगरमालवा, बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, देवास डिण्डौरी, इन्दौर, जबलपुर मुरैना नरसिंहपुर, रीवा, सीहोर उज्जैन, बैतूल इन जिलों के अलावा अन्य जिलों की जानकारी अप्राप्त है । जानकारी प्राप्त नही होने से ये स्वान एवं एनआईसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये जानकारी तत्काल भेजने के निर्देश दिए गये ।
33. आयुक्त महोदया ने वर्चुअल क्लास के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि म.प्र. में वर्चुअल क्लास का बहुत उपयोग होना है । वर्चुअल क्लास प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में आपके ही जिले के बच्चों का नुकसान होगा । इस संबंध में जो भी समस्या है, क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है । बताएं । ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यवाही की जाएगी ।
34. इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियो को निर्धारित प्रारूप में ही जानकारी भेजने के निर्देश दिए गये । आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि वर्चुअल क्लास 11.30 बजे ही लॉगइन किया जाए। इस संबंध में जो भी समस्या है, बताएं। उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा ।
35. बच्चों को आगे बढाने का बहुत अच्छा अवसर है अतः इस कार्य को छात्रहित में गंभीरता से किया जाए । virtual.class.@gmail.com और virtualclass.@gmail.com इस पर जानकारी भेजी जाए ।

36. जानकारी ग्रुप पर व्हाटसअप भी कर सकते हैं । पूर्व में जो पत्र लिखा गया था उसमें उल्लेख किया था कि जो स्थानीय तौर पर जो छोटी समस्यायें है उसके लिए ई–गर्वनेस और स्वान पर बात कर सकते हैं ।

37. शैक्षणिक केलेण्डर प्रत्येक क्लास में डिस्प्ले किया जाना है । अतः जो क्लास होगी उसी क्लास से संबंधित शैक्षणिक केलेण्डर डिस्पले किया जाना है । इसे माह के हिसाब से लगाया जाए ताकि बच्चे सिलेबस ठीक तरह से समझ सके कि कब क्या पढाया जाना है ।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा

38. अपर परियोजना संचालक ने सभी संयुक्त संचालक से कहा कि सीएम हेल्पलाइन के संबंध में लिखा गया अर्द्धशासकीय पत्र आपको मिल गया है । पत्र लिखने का कारण ये है कि एल3 लेवल पर कार्यवाही न के बराबर हो रही है । इसको लेकर असमंज था कि कार्यवाही करना है अथवा नहीं । इसमें जो पेंडेसी है वो भी आपको भेज दी गई है इसकी जानकारी आपको 31 जुलाई की स्थिति में भेजी जाना है । प्रकरण एल3 एवं एल4 लेवल पर 4000 से अधिक प्रकरण पेंडिग है । इसकी भी समीक्षा की जाएगी कि जो प्रकरण एल3 और ए4 लेवल पर निपटाए जाने थे वो अभी तक फोर्स क्लोज क्यों नही हो रहे हैं । यदि ये पेडेसी ऐसे ही बढती रही तो अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी ।

39. सभी संयुक्त संचालक अपने स्तर पर देख लें कि उनके नीचे स्तर पर जो पेंडेसी है वो किस तरह की है और किस लेवल की है । यदि कार्यवाही शासन स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा है तो वे रिपोर्ट बनाएगें तो उसमें उल्लेख कर भेजे । विशेष रूप से रीवा और ग्वालियर में पेंडेसी बहुत अधिक है । इसका कारण यह भी है कि वहॉ बहुत अधिक शिकायतें आती हैं । कारण यह भी है कि एक ही शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में बार बार की जाती है ।

40. एपीडी महोदय ने हेल्पलाईन की संभागवार पेंडेसी के बारे में चर्चा की जिसमें भोपाल 528, इन्दौर 46, सागर 675, उज्जैन 378, ग्वालियर 948, होशंगाबाद 30, जबलपुर 381, रीवा 821, और शहडोल 65 .

41. अपर संचालक श्री कुशवाहा जी ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया कि प्रकरण एल 4 तक नहीं आएं । जिला शिक्षा अधिकारी प्रकरणों को ध्यानपूर्वक देखे कि प्रकरण यदि उनके स्तर का है तो वे एल 4 तक न पहुंचे । संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी रिमार्क कॉलम में अपनी रिपोर्ट भेजते जाएं । ताकि प्रकरण जल्दी निपटाए जा सकें ।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

संचालक 5/8
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश